57

30

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1682–दो/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–10–2004 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 18/अ–3/1998–99

....

1– सुक्की बल्द आशाराम रावत
2– रामदीन बल्द आशाराम रावत
वारिस उत्राधिकारी
मनमोहन बल्द सुक्की उर्फ रामसेवक रावत
सभी निवासी ग्राम तिगोड़ा तह0 बंडा
जिला–सागर, म0प्र0

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1– राधिकाप्रसाद बल्द छोटेलाल रावत
2– रामेश्वर बल्द आधाराम रावत
सभी निवासी ग्राम तिगोड़ा तह0 बंडा
जिला–सागर, म0प्र0

.................अनावेदकगण

....

श्री एस0बी0तिवारी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/2/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–10–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा एक आवेदन सहायक बंदोबस्त सागर दल क्र0 4 के न्यायालय में इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम तिगोड़ा में स्थित भूमि खसरा नंबर 220, 222, 289, 391, 392, 393, 394, 395, 1483, 1485 एवं 2432 में जिस

स्थान पर उसका कब्जा है वह स्वच्छ नक्शे में सही रूप से नहीं दर्शाया गया है । अतः मौके पर कब्जानुसार नक्शा दुरूस्त किया जावे । सहायक बंदोबस्त अधिकारी ने प्रकरण पंजीबद्ध किया तथा कार्यवाही प्रारंभ की । प्रकरण में संहिता की धारा 51 के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त न होने पर अनावेदक द्वारा राजस्व सर्वेक्षण के दौरान हुई अनियमितताओं के संबंध में बंदोबस्त अधिकारी के न्यायालय में संहिता की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया । इस बीच राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 08.12.93 के अनुसार सर्वेक्षण संबंधी संक्रियाओं का समापन कर दिये जाने के कारण प्रकरण अपर कलेक्टर के न्यायालय को प्राप्त हुआ । पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 13 / अ—3 / 1993—94 में पारित आदेश दिनांक 4.5.94 द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी बंडा को प्रत्यावर्तित किया । अनुविभागीय अधिकारी बंडा द्वारा प्रकरण क्र0 1 / अ—3 / 1994—95 में पारित आदेश दिनांक 30.8.96 के अनुसार आवेदक का आवेदन पत्र अस्वीकृत किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर ने न्यायालयीन प्रकरण क्र0 61 / अ—3 / 1995—96 में पारित आदेश दिनांक 23.04.97 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बंडा का आदेश क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण अकृत एवं शून्य माना तथा उभयपक्ष के राजीनामें एवं उसके साथ प्रस्तुत किये गये नक्शा ट्रेस अनुसार सुधार हेतु सहमत होने से उनके द्वारा प्रस्तावित किये गये नक्शा ट्रेस एवं आदेश के पैरा क्र0 7 अनुसार सुधार हेतु आदेश दिया । इसी आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा यह अपील न्यायालय अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की गई । प्रकरण क्रमांक 18 / अ—3 / 1998—99 पंजीबद्ध किया गया एवं आदेश दिनांक 08—10—2004 को अपर आयुक्त सागर द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.2004 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से आधार प्रस्तुत किये गये कि अपर कलेक्टर का आदेश पूर्णरूप से विधि संगत है । आवेदकगण एवं अनावेदक क्र0 2 के बीच जो विवाद था उसे सम्पूर्ण रूप से सुलझाया गया है । प्रकरण में यह धारणा है कि फरीकेन के बीच कुआं के संबंध में विवाद था अभिलेख तथा मौके पर ख0नं0 391 एवं ख0नं0 470 में दो

अलग—अलग कुअें बहुत पूर्व से निर्मित है तथा मौके पर आज भी मौजूद है । ख0नं0 391 में जो कुआं है वह आवेदक सुक्की के नाम से अंकित है तथा ख0नं0 470 पर जो कुआं है वह अनावेदक क्र0 1 राधिका के नाम से है । ख0नं0 391 का कुआं बंदोबस्त के पूर्व से आवेदकों के नाम चला आ रहा है । ख0नं0 388 में कोई कुवां नहीं बल्कि इसका संबंध ख0नं0 391 से है । राजीनामा के अनुसार अनावेदक क्र0 1 का कहीं भी कोई अहित नहीं हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय को देखना था कि अपर आयुक्त ने अपने यहीं लंबित प्रकरण में दिनांक 23.03.2001 को तहसीलदार बंडा का आदेश पारित कर उक्त प्रकरण में जानकारी स्पष्ट रूप मांगी थी कि नायब तहसीलदार साहगढ़ मौके पर जाकर देखें कि ग्राम तिगोड़ा के ख0नं0 470 एवं ख0नं0 391 पर अलग—अलग कुवें है या नहीं । इस बात की जांच करें कि दो कुवें है अथवा एक लेकिन न्यायालय में उक्त आदेश पर कोई बल नहीं दिया और न जांच रिपोर्ट उपलब्ध हुई । तर्क में यह भी कहा गया है कि अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में उन समस्त तथ्यों का हवाला दिया है कि आधार पर उनके द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के यहां प्रत्यावर्तित किया गया था । अनुविभागीय ने उक्त तथ्यों से हटकर जो आदेश दिया है वह शूल्यवत है । इसे अपर कलेक्टर द्वारा अपील स्वीकार की गई थी, अपर कलेक्टर के आदेश में कोई दोष नहीं है इससे उसे अपास्त करने का कोई कारण मौजूद नहीं होता । इस तथ्य पर अपर आयुक्त ने कोई ध्यान न देकर आदेश पारित किया है । अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 23.04.97 को यथावत रखते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक क्र0 1 के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से आधार प्रस्तुत किये गये कि उक्त निगरानी प्रकरण आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के अपील प्र0क्र0 18 / अ—3 / 1998—99 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2004 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । अनावेदक क्र0 1 की भूमि बाके मौजा तिगोड़ा प0ह0नं0 17, रा0नि0मं0 शाहगढ़ स्थित भूमि ख0नं0 470 रकबा 0.99 हे0 इस भूमि पर अनावेदक क्र0 1 राधिका प्रसाद का नाम भूमि स्वामी हम में अभिलिखित है । इस भूमि पर एक पक्का हुआ है जिस पर उसका कब्जा है एवं सिंचाई भी उसी कुआं से करता है । आवेदकगण एवं अनावेदक क्र0 2 ने बदयांतिपूर्वक आवेदन सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत

किया जिसे संहिता की धारा 51 के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी से पुनर्विलोकन का अनुमति प्राप्त न होने पर राजस्व सर्वेक्षण के दौरान हुई अनियमितताओं के संबंध में बंदोबस्त अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया इसी दौरान राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 08.12.92 के अनुसार सर्वेक्षण संबंधी संक्रियाओं का समापन किये जाने के कारण प्रकरण अपर कलेक्टर सागर के न्यायालयों को प्राप्त हुआ पुरीक्षण प्र0क्र0 13 / अ–3 / 93–94 के पारित आदेश दिनांक 4.06.94 द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी बंडा को प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी बंडा द्वारा रा0प्र0क्र0 1 / अ–3 / 94–95 में पारित आदेश दिनांक 30.08.96 के अनुसार आवेदक का आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया गया । पश्चात् आवेदकगण द्वारा कलेक्अर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई अपर कलेक्टर के प्र0क्र0 61 / अ–3 / 95–96 में आवेदकगण एवं अनावेदक क्र0 2 जो तीनों सगे भागी हैं ने बदयांतिपूर्वक एक राजीनामा पेश कर दिया जिसमें अनावेदक क्र0 2 के खसरा नं0 470 के रकबा 0.99 हे0 में स्थित कुओं को अपने ख0नं0 391 में दर्ज करवा लिया एवं अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 23.4.97 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर राजीनामा के आधार पर रिकार्ड दुरूस्त करने आदेश प्रदान किया गया । आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 23.04.97 के अनुसार अनावेदक क्र0 1 की भूमि ख0नं0 470 में स्थित कुआं को विलोपित कर अपने ख0नं0 391 में दर्ज करवा लिया । जब अनावेदक क्र0 1 को उक्त संशोधन की जानकारी हुई तो अनावेदक ने अपर कलेक्टर के प्र0क्र0 61 / अ–3 / 95–96 में पारित आदेश दिनांक 23.04.97 के विरूद्ध अपर आयुक्त सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की । लिखित तर्क में यह भी कहा गया है कि अपर आयुक्त सागर के अपील प्र0क्र0 18 / अ–3 / 98–99 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2004 के अनुसार अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के आदेश पर आवेदक ने तहसील शाहगढ़ के समक्ष रिकार्ड दुरूस्त किये जाने हेतु आवेदन पेश किया । तहसीलदार शाहगढ़ द्वारा रा0प्र0क्र0 36 / अ–6 / 08–09 दर्ज कर स्थल निरीक्षण कर पाया की खसरा पांचसाला वर्ष 94–95 में ख0नं0 391 में कुआं अंकित नहीं है । सींच नाला से अंकित है तथा इसी भूमि से नाला लगा है न ही मौका पर ख0नं0 391 में कुआं अंकित है । वर्ष 94–95 के खसरा न0 470 में कुआं अंकित है एवं कुआं से सींच होना अंकित है । मौका निरीक्षण पर कुआं ख0नं0 470 की भूमि पर पाया गया । तहसीलदार के आदेशानुसार ख0नं0 391 में दर्ज

कुआं को विलोपित कर ख0नं0 470 रकबा 0.99 में दर्ज किया जाने का आदेश पारित कर दिया गया है जिससे अनावेदक क्र0 1 के ख0नं0 470 रकबा 0.99 है0 में कुआं पूर्वानुसार अंकित जा चुका है । जिसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं रह गई है । अंत में अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग द्वारा पारित आदेश यथावत रखते हुये निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर ने मात्र राजीनामा के आधार पर आदेश पारित किया जबकि आवेदकों ने राजीनामे के समर्थन में कोई भू–अभिलेख/सीमांकन प्रतिवेदन आदि प्रस्तुत नहीं किये थे । स्पष्ट है कि उक्त कार्यवाही से अनावेदक कमांक 1 के हित विपरीत रूप से प्रभावित हुये हैं । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त ने कलेक्टर के त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर